न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी (जिला– सवाई माधोपुर)

मु.नं. : 6/19

तारीख रजू : 25.6.19 निर्णय दिनांक : 31-10-19

सरकार बनाम शिवरतन पुत्र सुरेश

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गंगापुर सिटी ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि शिवरतन पुत्र सुरेश जाति महाजन, निवासी गंगापुर ने खसरा नं. 138 रकबा 0.1 है0 किस्म गै0मु0चारागाह वाके ग्राम मिर्जापुर पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से पक्की दुकान बनाकर अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

पटवारी हल्का उपस्थित। गैरसायल ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में जबाब प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 138 स्थित ग्राम मिर्जापुर के 0.1 हेक्टर रकवे पर अतिक्रमण करने का जो नोटिस दिया है वह नितान्त गलत है। प्रार्थी का उक्त पर कोई अतिक्रमण नही है प्रार्थी का ट्यूरिज्म डिपार्टमेन्ट द्वारा प्रार्थी की पत्नी को सर्टिफिकेट जारीकिया गया है ऐसी स्थिति में नोटिस नितान्त गलत है उक्त कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे। अतिकमी की आपत्ति पर दो भूअभिलेख निरीक्षक दो पटवारीयो की संयुक्त टीम गठित कर अतिकमण की जाचं कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना में संयुक्त टीम द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि पटवारी हल्का द्वारा जो अतिकमण की रिपोर्ट पेश की गई है वह सही है तथा अतिकमी के अतिकमण क पुष्टि की है।

उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया। पटवारी हल्का ने अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। हमने पत्रावली, आपत्ति अतिकमी एवं रिपोर्ट संयुक्त टीक का अवलोकन किया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है।

अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जाता है एवं इन पर लगान 4.80 की 50 गुनी शास्ति 240/– आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार ध्वस्त कर एवं बेदखल कर पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

रजिस्टर 'घ' के पेज संख्या 3

पर रुपये 240/– की कायमी वर्ष

2019–20 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार

गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner